न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 121/2024

पाताराम गोदपुत्र सोनाराम जाति मेघवाल
निवासी सिन्धासवा चौहान, तहसील गुडामालानी
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. चेनाराम पुत्र दुर्गाराम
2. सांवलाराम पुत्र दुर्गाराम
3. मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम
4. चेलाराम पुत्र वरधाराम
5. टीपूदेवी पत्नी वरधाराम
6. भगाराम पुत्र सुजाराम
7. मीरादेवी पत्नी सुजाराम
8. जेसाराम पुत्र रावताराम
9. सुजानाराम पुत्र चिमनाराम
   सभी जाति मेघवाल, निवासीगण सिन्धासवा चौहान
   तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
    जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार गुडामालानी दिनांक 04 दिसम्बर 2023 राजस्व प्रकरण संख्या 02/2022 अनवान चेनाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5 व 8
रेस्पो. संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 24 जुलाई 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 चेनाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 मई 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा अपील संख्या 03/2021 चेनाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत आदि में पारित निर्णय दिनांक 28 फरवरी 2022 (जिसमें ग्राम सिन्धासवा चौहान स्थित आराजी खसरा संख्या 17 व 164 कुल रकबा 15 बीघा बाबत अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 875 दिनांक 20 दिसम्बर 2018 खारिज कर दिया गया एवं प्रकरण धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार जांच किये जाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को प्रतिप्रेषित किया गया) के अनुसरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 चेनाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत इत्यादि संस्थित किया गया और बाद आवश्यक कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिन्धासवा चौहान स्थित आराजी खसरा संख्या 17 व 164 कुल रकबा 15 बीघा पूर्व में कुसुम्बी पत्नी सोनाराम की खातेदारी की भूमि थी, कसुम्बी व उसके पति सोनाराम के कोई सन्तान नहीं थी, अपीलाण्ट पाताराम को कसुम्बी के पति सोनाराम ने विधिवत रस्म अदायगी कर दत्तकग्रहण किया था और तब से अपीलाण्ट गोदपुत्र की तरह सेवा-चाकरी करते हुए उनके साथ ही रहता था। स्वयं कसुम्बी ने अपनी खातेदारी भूमि एवं समस्त चल-अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा गोदपुत्र अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में कर दिया था। उक्त वसीयत एवं अपीलाण्ट के गोदपुत्र होने की पुष्टि गवाह इराराम व मगाराम के बयानों से भलीभांति होती है। रेस्पो. की ओर से खण्डन में कोई गवाह पेश नहीं किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों एवं अखण्डित साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत म्युटेशन में अपीलाण्ट की बजाय रेस्पो. संख्या 1 से 8 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं है क्योंकि रेस्पो. संख्या 1 से 8 कसुम्बी अथवा उसके पति सोनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट पाताराम के अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश के जरिये म्युटेशन खारिज कर दिये जाने की बात नहीं बतायी और मात्र जांच चलना बताते रहे और जांच के बाद ही निर्णय होने बाबत कहते रहे। गांव में पटवारी हळका द्वारा अपीलाण्ट पाताराम को विचारण न्यायालय द्वारा म्युटेशन खारिज कर दिये जाने बाबत बताये जाने पर अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के पास गुडामालानी गया और उनके द्वारा दिनांक 02 मई 2024 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 की नकल लेकर देने व पढकर सुनाने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। तब बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने और अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील मियाद-बाधित होने के आधार पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपीलाण्ट पाताराम को वादग्रस्त भूमि की पूर्व खातेदार कसुम्बी अथवा उसके पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में दत्तकग्रहण किया जाना किसी ठोस आधार पर सिद्ध नहीं होता है। कसुम्बी के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में मात्र कयासी आधार पर गोदपुत्र मानते हुए म्युटेशन स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट पाताराम के कथनाराम यदि कसुम्बी के पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट पाताराम को दत्तकग्रहण कर लिया गया था तो स्वयं सोनाराम के देहान्त के समय कसुम्बी के साथ बतौर दत्तकपुत्र अपीलाण्ट पाताराम का नाम वादग्रस्त आराजी बाबत जरिये म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्यों नहीं हुआ। अधिवक्ता–रेस्पो. ने जाहिर किया कि वस्तुतः चिमना, सोना व रावता पिसरान रखाराम परस्पर सगे भाई थे और वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 17 व 164 रकबा 15 वाके मौजा सिंधासवा चौहान सोनाराम को अपने हक–हिस्से अनुसार बंटवारे में प्राप्त हुई थी। सोनाराम व उसकी पत्नी कसुम्बी के कोई जायन्दा संतान नहीं थी और न ही उनके द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को दत्तकग्रहण किया गया था। उनकी वृद्धावस्था में चिमनाराम व रावताराम और उनके वारिसान द्वारा ही सोनाराम व कसुम्बी की सेवा–चाकरी और वादग्रस्त भूमि की देखभाल की जाती रही और सोनाराम व कालान्तर में कसुम्बी का देहान्त होने पर इनके द्वारा ही अंतिम क्रिया और अन्य रस्म अदायगी की गयी और खर्चा वहन किया गया। अपीलाण्ट पाताराम द्वारा अपने पक्ष में न तो कोई पंजीबद्ध गोदनामा पेश किया गया है और न ही तथाकथित वसीयतनामा विधिवत गवाहान पेश कर सिद्ध कराया गया है, जो गवाह इस संबंध में पेश किये गये, उनके बयानों से वसीयतनामा की पुष्टि नहीं होती है। इन परिस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट पाताराम स्वयं को करीब 35 साल पूर्व वादग्रस्त भूमि की खातेदार कसुम्बी के पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में विधिवत दत्तकग्रहण किया जाना तथा स्वयं कसुम्बी द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयतनामा किया जाना बताया जा रहा है, किन्तु अपने इस कथन की ताईद में कोई दस्तावेज या अन्य कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को कसुम्बी और उसके पति सोनाराम का दत्तकपुत्र स्वीकार नहीं करने में कोई अनियिमतता अथवा त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

जिस कथित वसीयत का अपीलाण्ट द्वारा उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 19 पर उपलब्ध तथाकथित *"वसीयत"* मात्र हस्तलिखित एक सादा कागज पर की गयी लिखत है जिस पर "तारीख 18.1.2018" अंकित की गयी है और किसी खातेदारी भूमि का कोई विवरण अंकित नहीं है, मात्र चल–अचल सम्पत्ति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 58 पर वादग्रस्त आराजी बाबत कसुम्बी द्वारा पाताराम के पक्ष में एक अन्य तथाकथित "वसीयतनामा" उपलब्ध है जो स्टाम्प न. 1224 हस्ते सांवलाराम पर कंप्युटर से टाइपशुदा और नोटेरीकृत है, किन्तु पंजीबद्ध नहीं है। इस पर भी तारीख 18.01.2018 अंकित है। इन परिस्थितियों में तथाकथित वसीयत के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद होने के की स्थिति में वसीयत बाबत किसी प्रकार का विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित पक्षकार सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विधिवत कार्यवाही के जरिये ही कोई अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

कसुम्बी के पति सोनाराम के कोई जायन्दा संतान नहीं होने तथा कसुम्बी के पति सोनाराम के पिता रखाराम के दो अन्य पुत्र चिमना व रावता होने तथा रेस्पो. उनके वंशज होने के तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा किसी ठोस आधार पर खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित होने के तथ्य बाबत भी कोई विवाद नहीं है।

इन परिस्थतियों में विचारण न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। इसके अलावा मियाद के बिन्दु पर भी आलौच्य अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बाबत कोई ठोस, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर